हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज़ विभाग।

संख्याः पीसीएच–एचए(1)2/2019– विभाजन/पुर्नगठनः 60680-684 23 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)2/2019–विभाजन/पुर्नगठन–58048–51 दिनांक 07.09.2020 के अन्तर्गत जिला शिमला में ग्राम सभा घूण्ड के क्षेत्रों को विभाजित, पुर्नगठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमन्त्रित किए गए थे तथा उपायुक्त शिमला को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों एंव सुझावों पर उपायुक्त जिला शिमला की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला शिमला के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन, पुर्नगठन और नए ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप–धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला शिमला के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुर्नगठित कर उनके लिए, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के प्रयोजन हेतु निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते है।

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2–क) तथा धारा (3–क) के अधीन प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत यह आदेश भी प्रदान करते है कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन और पुर्नगठन विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने बाले ग्रमों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	**विकास खण्ड ठियोगः**					
	1 घूण्ड	1 टिक्कर	चरैण टिक्कर मुख्यालय खगना	1 टिक्कर	1 शिलोहा	
		2 मदोग		2 मदोग	2 पालवी	
		3 चरैण		3 चरैण	3 घूण्ड	
		4उप–महाल छैला		4 उप–महाल	4 घूण्ड जंगल	

				छैला खसरा न0	मेहदुद	
		5 शिलोहा		284, 325, 326, 22, 24 29, 294, 286, 7, 281, 283, 279, 280, 313, 314, 315, 125, 127, 128, 131, 133, 135, 136, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 156, 157, 129,163, 164, 165, 166, 169,	5 गढेडी	
		6 पालवी			6 उप–महाल छैला खसरा न086, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 197, 198/1, 175, 184, 187, 190, 191, 196, 198, 257, 265, 346/271, 348/277, 288, 289/1, 290, 312, 324, 188, 194, 105, 193, 195, 289, 185, 189, 192, 256, 5, 41 से 44, 44/1, 48, 52, 66, 68, 70, 118, 235, 237, 252, 253, 341/335/ 261, 282, 61, 56, 63, 64, 6, 31, 32, 36, 50, 51, 34, 328, 55, 321, 309, 319, 320, 69, 74, 76, 91, 92, 99, 221, 222, 255, 53, 240, 241, 254, 259, 25, 18, 20, 22, 24, 29, 30/1, 218.	
		7 घूण्ड				
		8 घूण्ड जंगल 9 मेहदुद				
		9 गढेडी				

आदेश द्वारा
सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0 संख्याः उपरोक्त–60 680-684 दिनांक 23 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. उपायुक्त शिमला, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, हि0प्र0 शिमला–2.

3. जिला पचांयत अधिकारी शिमला, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला हि0प्र0.।
5. सम्बन्धित प्रधान/सचिव ग्राम पचांयत जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।

अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9.